बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 174 / 2024

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में इण्टरमीडिएट सत्र 2024–26 के कक्षा 11वीं में नामांकन के संबंध में विद्यार्थियों, संबंधित प्राचार्यो एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सूचना

CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु OFSS के माध्यम से सामान्य आवेदन प्रपत्र (COMMON APPLICATION FORM) भरने के लिए दिनांक–14.05.2024 से 20.05.2024 तक अवसर देने से संबंधित आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024–26 के कक्षा 11वीं में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली के माध्यम से नामांकन की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु समिति द्वारा **विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 144 / 2024** के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से **दिनांक 11.04.2024 से 20.04.2024 तक** एवं पुनः **विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 149 / 2024** के माध्यम से **दिनांक 26.04.2024 तक** ऑनलाईन आवेदन (CAF) आमंत्रित किए गए थे।

2. उक्त के संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के **पत्रांक– 09 / बि0वि0प0स0–13 / 2024–414, दिनांक–08.05.2024 एवं पत्रांक–09 / बि0वि0प0 स0– 13 / 2024–418, दिनांक–09.05.2024** के आलोक में इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु <u>निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया गया है :–</u>

2.1. राज्य के सरकारी विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक (कक्षा–10वीं) परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा–11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा, जहां से वे वार्षिक माध्यमिक (कक्षा–10वीं) परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

2.2. विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय (10वीं) से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (SLC) के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उन विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा।

2.3. सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए आवश्यकतानुसार संकाय निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग, पटना द्वारा की जाएगी।

2.4. गैर सरकारी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा–11वीं में नामांकन हेतु समिति द्वारा अपनाई गयी पूर्व की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

3. शिक्षा विभाग, पटना के उपरोक्त कंडिका 2 में दिए गए दिशा–निर्देश के आलोक में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 144 / 2024 एवं पी0आर0 149 / 2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

4. शिक्षा विभाग, पटना द्वारा दिये गये उक्त निदेश के आलोक में इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन मापदण्ड निम्नानुसार पुनर्निर्धारित की जाती है:

4.1. राज्य के सरकारी विद्यालयों से कक्षा–10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा–11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा, जहां से वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

4.2. यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहां से उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा।

4.3. अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी खास संकाय की उपलब्धता नहीं है तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

4.4. सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के उपरान्त पूर्व में मिलने वाली स्लाईड–अप (SLIDE-UP) की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। चयन सूची से संतुष्ट नही होने की स्थिति में वैसे विद्यार्थी अपना नामांकन शिक्षण संस्थानों में सीट रिक्तता के आधार पर स्पॉट एडमिशन (SPOT ADMISSION) के अवधि में ही करा पायेंगे। सरकारी विद्यालयों के वैसे विद्यार्थी जो जहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों और उनका 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में किया जाना है, वे स्पॉट एडमिशन (SPOT ADMISSION) के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (SLC) के आधार पर स्पॉट एडमिशन (SPOT ADMISSION) के दौरान ही अपना नामांकन ले पायेंगे।

4.5. सभी सरकारी विद्यालयों में 10वीं उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों के नामांकन हो जाने के उपरान्त उन विद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर एवं अन्य गैर सरकारी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का नामांकन पूर्व के वर्ष (2023) में प्रचलित चयन मापदण्ड के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:

- **(i)** इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संकायवार कुल संख्या
- **(ii)** विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन में भरे गये संस्थान / संकाय का विकल्प
- **(iii)** विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत **(iv)** आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान (जहां लागू हो)

4.6. चयन सूची के आधार पर विद्यार्थी OFSS Portal से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट डाउनलोड कर संबंधित इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र एवं आवश्यक सभी अभिलेख प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में लेंगे एवं OFSS Portal पर इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अद्यतन (Update) करेंगे।

4.7. सभी चयनित विद्यार्थियों को उस चयन सूची के अनुसार आवंटित शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समयावधि के दौरान नामांकन लेना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित समयावधि के दौरान नामांकन नहीं कराने की स्थिति में विद्यार्थियों को रिक्त सीटों के विरूद्ध स्पॉट नामांकन लेना होगा।

4.8. इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा सभी नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को प्रतिदिन OFSS वेबसाईट पर अपडेट किया जाएगा।

4.9. विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय (10वीं) से दूसरे विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (SLC) के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उनका नामांकन किया जाएगा।

5. चूंकि उपरोक्त कंडिका 4 के अनुसार इन्टरमीडिए सत्र 2024–26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु पूर्व निर्धारित नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन मापदण्ड बदल गयी है अतएव **दिनांक – 26.04.2024 तक** OFSS वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्व में दिए गए संकाय के विकल्प में **दिनांक – 14.05.2024 से 20.05.2024 तक** बदलाव कर सकते हैं। इस हेतु निर्धारित अवधि में विद्यार्थी OFSS वेबसाईट **www.ofssbihar.org** के Student Login में जाकर अपने संकाय के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं।

6. **<u>CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए इच्छुक है वे OFSS के माध्यम से सामान्य आवेदन प्रपत्र (COMMON APPLICATION FORM) दिनांक– 14.05.2024 से 20.05.2024 तक भर सकते हैं। साथ ही, अगर कोई विद्यार्थी इन्टरमीडिएट सत्र 2024–26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु पूर्व निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन नहीं दे पाये हैं तो वे भी दिनांक–14.05.2024 से 20.05.2024 तक OFSS वेबसाईट</u> www.ofssbihar.org <u>पर ऑनलाईन सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) दे सकते हैं।</u>**

6.1. ऑनलाईन नामांकन के लिये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा एक मोबाईल एप तैयार किया गया है, जो कि **Google Play Store** पर **OFSS** नाम से उपलब्ध है। इस एप का इस्तेमाल **Android Smart Phone** पर किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन से संबंधित सूचनाओं एवं अन्य जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि इस एप का इस्तेमाल आवेदन भरने के लिये नहीं किया जा सकता है।

6.2. सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) भरने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी अथवा समस्याओं के त्वरित निदान के लिये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के **हेल्प सेंटर नम्बर 0612–2230009** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उप सचिव–सह–वरीय प्रभारी पदा0(OFSS)